

## Order sheet [Contd]

M3CMACC-100032/16 case No /2017

te of order or proceeding

Signam Parties Pleaders w

order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को क्षतिपूर्ति राशि कुल-8,03,965/ रूपये उस पर छः प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से प्रापत करने के अधिकारी है। जिसमें से आवेदिका कलावती के नाम से 1,03,965/ (एक लाख तीन हजार नौ सौ पैसठ रूपये) राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष राशि सात लाख में से आवेदिका श्रीमती कलावती के नाम से 100000/ रूपये (एक लाख रूपये) की एफ.डी. तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जावे और आवेदक कं. - 2 लगायत 4 के नाम से 200000/ -200000 रूपये (दो-दो लाख) ब्याज की राशि को जोडते हुए एफ.डी. तीन –तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किये जाने का आदेश है।

अना.क.—03 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जमा सुदा अवार्ड राशि 25000/— रूपये को अवार्ड दिनांक 12—02—16 के आदेशानुसार आवेदिका कं.—1 श्रीमती कलावती को 3,233/— (तीन हजार दौ सौ तेतीस) रूपये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे तथा शेष 3110/— (तीन हजार एक सौ दस) रूपये की तीन वर्ष के लिए एफ.डी. के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किये जावे। तथा आवेदक कं.— 2 लगायत 4 के नाम से 6219—6219/— (छः हजार दौ सौ उन्नीस) रूपये की राशि एफ.डी. तीन—तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किया जावे। उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान न किया जावे। एफ.डी.आर. का ब्याज उसी में परिपक्व होने पर जोडकर भुगतान किया जावे।

अतः आदेश के पालन में आवेदिका कं.—1 श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड 3,233/— (तीन हजार दौ सौ तेतीस) रूपये राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे तथा शेष 3110/— (तीन हजार एक सौ दस) रूपये की तीन वर्ष के लिए एफ.डी. के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किये जावे तथा आवेदक कं.— 2 लगायत 4 मनोज, अशोक, व अनोज पुत्रगण स्व. श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड आवेदक कं.— 2 लगायत 4 के नाम से 6219—6219/— (छः हजार दौ सौ उन्नीस) रूपये की राशि एफ.डी. तीन—तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा कर भुगतान किया जावे।

आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे। साथ ही बाउचर पर नोट लगाया जावे कि एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान ना किया, जावे।

पी. सी. अर्थ

सदस्य १०,०२ १४